भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 5646

दिनांक 27 मार्च, 2026 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

एंटीबायोटिक दवाओं का दुरुपयोग और अति उपयोग

5646. श्री बृजेन्द्र सिंह ओला:

क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि देश में एंटीबायोटिक दवाओं की पैकेजिंग पर स्पष्ट चेतावनियां या प्रतीक न होने के कारण उनका दुरुपयोग और अत्यधिक उपयोग किया जा रहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का एंटीबायोटिक दवाओं की पैकेजिंग पर विशेष कोडिंग, कलर कोडिंग, अलग-अलग चिह्न, चेतावनियां या क्यूआर कोड लागू करने का विचार है ताकि रोगी और फार्मासिस्ट उन्हें अन्य दवाओं से अलग कर सकें और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या एंटीबायोटिक दवाओं के अत्यधिक या अनुचित उपयोग के कारण उनकी प्रभावशीलता कम हो रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार ने एंटीबायोटिक दवाओं के दुरुपयोग के प्रतिकूल प्रभावों का आकलन करने के लिए कोई अध्ययन कराया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ऐसे दुरुपयोग को रोकने के लिए क्या प्रयास किए गए हैं?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) से (घ): एंटीबायोटिक्स, औषधि नियम, 1945 की अनुसूची एच और अनुसूची एच1 के अंतर्गत आते हैं और इन्हें केवल पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी (आरएमपी) के प्रिस्क्रिप्शन पर ही खुदरा बेचा जा सकता है।

औषधियों का विक्रय और वितरण पर विनियामक नियंत्रण राज्य सरकार द्वारा नियुक्त राज्य लाइसेंसिंग प्राधिकरणों (एसएलए) द्वारा लाइसेंसिंग और निरीक्षण प्रणाली के माध्यम से किया जाता है। उल्लंघन की स्थिति में, एसएलए को औषधि और सौंदर्य प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई करने का अधिकार है।

भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, भारत में किए गए विभिन्न अध्ययनों से पता चलता है कि एंटीबायोटिक दवाओं का व्यापक रूप से अनुचित उपयोग हो रहा है, जिसमें बिना पर्चे के दवाओं की बिक्री, चिकित्सकों द्वारा अत्यधिक मात्रा में दवा लिखना, स्वयं उपचार करना और रोगियों द्वारा उपचार की अवधि पूरा नहीं करना शामिल है। तथापि, आईसीएमआर ने यह निर्धारित करने के लिए कोई अध्ययन नहीं किया है कि क्या यह दुरुपयोग स्पष्ट चेतावनी चिह्नों की कमी के कारण है।

रोगाणुरोधी दवाओं के लिए लेबलिंग संबंधी अनिवार्यताएं औषधि नियम, 1945 के नियम 96 और 97 के अंतर्गत निर्धारित हैं। इसके अतिरिक्त, राज्य औषधि विनियामकों और अन्य हितधारकों को इन अनिवार्यताओं का कड़ाई से पालन करने और एंटीबायोटिक दवाओं के दुरुपयोग के प्रतिकूल प्रभावों के बारे में जनता के बीच जागरूकता बढ़ाने के लिए विभिन्न सूचना/एडवाइजरी/पत्र जारी किए गए हैं।

औषधि नियम, 1945 को वर्ष 2023 में नियम 96 के उप-नियम (6) को जोड़कर संशोधित किया गया है, जिसमें अनुसूची एच 2 में सूचीबद्ध शीर्ष 300 औषधि निर्माण ब्रांडों के विनिर्माताओं को प्रमाणीकरण के लिए सॉफ़्टवेयर एप्लीकेशन के माध्यम से पठनीय डेटा संग्रहीत करने के लिए प्राथमिक पैकेजिंग लेबल पर, या द्वितीयक लेबल पर जहां स्थान अपर्याप्त है, बार कोड या क्यूआर कोड मुद्रित या चिपकाना अनिवार्य है, जिसमें कतिपय रोगाणुरोधी भी शामिल हैं।

आईसीएमआर की वार्षिक रिपोर्ट में जन स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण रोगजनकों में सामान्यत: उपयोग होने वाले रोगाणुरोधी दवाओं के प्रति प्रतिरोध के बढ़ते स्तर को दर्ज किया जा रहा है। टाइफाइड पैदा करने वाले ऑर्गनिज़्म एस. टाइफी में फ्लोरोक्विनोलोन के प्रति 90% प्रतिरोध देखा गया है (आईसीएमआर की वार्षिक रिपोर्ट 2024-2025)। इसके अलावा, ई. कोलाई, क्लेबसिएला निमोनिया और स्टैफिलोकोकस ऑरियस जैसे रोगजनकों में व्यापक स्पेक्ट्रम रोगाणुरोधी दवाओं के प्रति प्रतिरोध में वृद्धि दर्ज की जा रही है, जो सबसे अधिक नुस्खे में लिखी जाने वाली दवाएं हैं (राष्ट्रीय रोगाणुरोधी खपत नेटवर्क (एनएसी-नेट) के तहत रोगाणुरोधी खपत की निगरानी के आंकड़े)।
